

समझौता ज़ापन (एमओयू)



**K.R. MANGALAM UNIVERSITY**  
EDUCATION FOR LIFE  
(Recognized by UGC and a member of AIU)

**के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय**  
**सोहना रोड, गुड़गांव - 122103**

एवं

किसान / जमींदार का नाम: श्री इन्द्रजीत सिंह

ग्राम का पता: धामरोज, सोहना

---

## समझौता ज्ञापन

यह समझौता जापन 31 अक्टूबर, 2022 को निष्पादित किया गया है।

के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुड़गांव - 122103 (दिल्ली एनसीआर क्षेत्र), हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 (2013 का संशोधित 08) और यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के तहत स्थापित विश्वविद्यालय, जिसे यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत निर्दिष्ट डिग्री प्रदान करने का अधिकार है के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार के माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत है। (केआरएमयू के रूप में संदर्भित) पहले भाग की पार्टी है।

श्री इन्द्रजीत सिंह एवं \_\_\_\_\_ (किसान / जमींदार का नाम) के पास  
 \_\_\_\_\_ (भूमि का आकार) भूमि \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ धामराज \_\_\_\_\_ (ग्राम का पता) में स्थित है,

जो इस संबंध में दूसरे भाग के किसान / जमींदार पक्ष की ओर से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत हैं।

"केआरएमयू" और किसान / जमींदार" की अभिव्यक्ति का अर्थ होगा उनके संबंधित उत्तराधिकार, कानूनी प्रतिनिधित्व और समनुदेशिती में शामिल होंगे।

केआरएमयू और किसान/जमींदार सोहना के आसपास के कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए हर्बल खेती और चिकित्सा पौधों की खेती के लिए सहयोग कर रहे हैं। कृषि विज्ञान ज्ञान और कुछ कृषि उत्पादों जैसे जैविक खाद, बीज और पौधों की सही समय पर और कम कीमत पर लगातार पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया यह समझौता।

यहां दोनों पक्ष इस प्रकार सहमत हैं:

1. केआरएमयू और किसान/जमींदार कृषि ज्ञान, कृषि विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण, कृषि और मृदा अनुसंधान कार्य, कृषि परियोजनाओं और छात्र इंटरनशिप के लिए सहयोग करेंगे।
2. केआरएमयू और किसान/जमींदार कृषि और कृषि परामर्श द्वारा हर्बल खेती और चिकित्सा पौधों की खेती, कृषि अनुसंधान और आउटरीच कार्यक्रम करेंगे।

3. केआरएमयू और किसान/जमींदार किसानों और कृषि छात्रों के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और अन्य प्रकार की कार्यशैली विकास कार्यशाला का आयोजन करेंगे।
4. केआरएमयू और किसान/जमींदार कृषि ज्ञान, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का आदान-प्रदान करेंगे।
5. किसी भी पक्ष की ओर से कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा।
6. सहयोग का दायरा और अवधि दोनों पक्षों की सहमति और अनुमोदन से संयुक्त समझौते के माध्यम से संशोधित और/या आगे बढ़ाई जा सकती है।
7. यह समझौता ज्ञापन भागीदार संस्थानों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर करने पर लागू होगा और एक (1) वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा।
8. इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति पर दोनों भागीदार संस्थानों के समझौते के साथ नवीनीकरण किया जा सकता है। यदि कोई भी भागीदार संस्थान एक वर्ष के अंत में समझौता ज्ञापन को समाप्त करना चाहता है, तो उसे समझौता ज्ञापन की समाप्ति से कम से कम दो महीने पहले अन्य संस्थान को सूचित करना होगा।
9. इस एमओयू या इसके नवीनीकरण और इसके तहत की गई कार्रवाई की किसी भी समय समीक्षा की जा सकती है। संशोधन आपसी सहमति से किए जा सकते हैं और समझौते में किसी भी संशोधन या विस्तार को दोनों पक्षों के बीच पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा औपचारिक रूप से किया जायेगा।

यह समझौता ज्ञापन पार्टी प्रथम और द्वितीय के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निष्पादित है।

के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय के लिए

ग्रुप कैप्टन प्रवीण महाजन

कुलसचिव

पता: सोहना रोड, गुरुग्राम

**Registrar**  
**K.R. Mangalam University**  
**Sohna Road, Gurgaon**  
**Haryana - 122103**

दिनांक: 31 अक्टूबर, 2022

1. गवाह

 (प्रवीण महाजन)

किसान / जमींदार के लिए

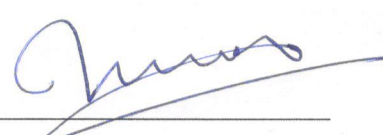
श्री

जमींदार

पता: ग्राम:

दिनांक: 31 अक्टूबर, 2022

1. गवाह

  
राज कुमार राम  
9466924100